

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001
(पंजीयन सं०-633/2003)

Website: basabihar.in ,

E-mail Id : infobasal@gmail.com

अध्यक्ष,

* सुरेश कुमार शर्मा

मो० 9431818346, 9431479774

महासचिव,

* सुशील कुमार

मो० 9431091417



उपाध्यक्ष :-

संयुक्त सचिव :-

कोषाध्यक्ष :-

संयुक्त कोषाध्यक्ष :-

* सआदत हसन मिन्टो

* राजेन्द्र राम

* राजयबन्धु चार्डियार

* अबिल कुमार

* चन्द्र शेखर सिंह

* दिनेश आबन्ध

पत्रांक :.....47.....

दिनांक ...30/9/2013.....

सेवा में

प्रधान सचिव

वित्त विभाग,

बिहार, पटना।

विषय:-

01.01.2006 को सेवा सम्पुष्ट नहीं होने के कारण पी०बी०-2 में कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सेवा सम्पुष्टि के उपरान्त पी०बी०-2 से पी०बी०-3 में वेतन परिवर्तन की तिथि को Departmental Examination Rules of gazette officers 1961 के provisions के तहत सभी देय वेतनवृद्धि वैचारिक रूप से (notional) एक साथ जोड़कर सम्पुष्टि की तिथि से इसका वास्तवित लाभ देते हुए वेतन-पुर्जा निर्गत नहीं किए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के वैसे पदाधिकारी जिनका 01.01.2006 को सेवा सम्पुष्टि नहीं होने के कारण पी०बी०-2 में वेतन निर्धारित हुआ था, को सेवा सम्पुष्टि के उपरान्त पी०बी०-2 से पी०बी०-3 में वेतन परिवर्तन की तिथि को Departmental Examination Rules of gazette officers 1961 के provisions के तहत सभी देय वेतनवृद्धि वैचारिक रूप से (notional) एक साथ जोड़कर सम्पुष्टि की तिथि से इसका वास्तवित लाभ देते हुए वेतन-पुर्जा निर्गत किया जाना अपेक्षित है। परन्तु वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग द्वारा Departmental Examination Rules of gazette officers 1961 में निहित प्रावधानों के तहत सम्पुष्टि की तिथि को सभी देय वेतनवृद्धि वैचारिक रूप से (notional) एक साथ जोड़कर सम्पुष्टि की तिथि से इसका वास्तवित लाभ देते हुए वेतन-पुर्जा निर्गत नहीं किया जा रहा है जिसके कारण वेतन विसंगति उत्पन्न हो रही है तथा एक ही बैच के पदाधिकारी का वेतन भिन्न-भिन्न स्तर पर निर्धारित हो जा रहा है। साथ ही कुछ मामलों में वरीय पदाधिकारी का वेतन भी बिना किसी दंड के ही कनीय पदाधिकारी के वेतन से कम स्तर पर निर्धारित हो जा रहा है जो Departmental Examination Rules of gazette officers 1961 में निहित प्रावधान के भी विपरीत है।

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध होगा कि Departmental Examination Rules of gazette officers 1961 में निहित प्रावधानों के तहत वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को सेवा सम्पुष्टि की तिथि को पी०बी०-2 से पी०बी०-3 में वेतन परिवर्तन को Departmental Examination Rules of gazette officers 1961 के provisions के तहत सभी देय वेतनवृद्धि वैचारिक रूप से (notional) एक साथ जोड़कर सम्पुष्टि की तिथि से इसका वास्तवित लाभ देते हुए वेतन-पुर्जा निर्गत करने का आदेश देने की कृपा की जाय।
अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुशील कुमार)
महासचिव

NO.Q/PC/578/16/2011
Government of India
Ministry of External Affairs
(PC Section)

New Delhi, the 25th August, 2011


ORDER

Subject : Appointment as Assistant in Grade-IV of the General Cadre of IFS(B) on the basis of Combined Graduate Level Examination 2010 conducted by Staff Selection Commission.

On the basis of the results of the Combined Graduate Level Examination 2010, conducted by Staff Selection Commission, the President is pleased to appoint Shri Ramesh Kumar Jha (Rank SLA/00006) as Assistant, Grade-IV of General Cadre of IFS (B) of the Ministry of External Affairs with effect from the afternoon of 25.07.2011.

2. The Pay of Shri Ramesh Kumar Jha is fixed at ₹12,540/- in the Pay Band-2 of ₹ 9300-34800 with Grade Pay of ₹4600/- of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 on the terms and conditions as laid down in Memorandum of even number dated 25th April, 2010.

3. Shri Ramesh Kumar Jha has been medically examined by the Superintendent, St. George's Hospital, Mumbai and found 'fit' for his appointment. The process of verification of his character and antecedents by this Ministry has not been completed. Based on the satisfactory verification report of Character & antecedents at the time of his appointment in the Office of the Commissioner of Central Excise, Kolhapur, Shri Ramesh Kumar Jha is provisionally appointed in the Ministry of External Affairs. However, his appointment is subject to the condition that if any adverse report is found against him subsequently, his services would be terminated.


(R. Chandramouli)

Under Secretary to the Government of India

Shri Ramesh Kumar Jha,
C/o Dilip Kumar Mishra,
A-2, 401, Sunder Nagar CHSL,
(Near Kanakia Police Station)
Meera Road(East), Thane(Maharashtra)